प्राचार्य का कार्यालय, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना।

संख्या 4426 दिनांक 10/9/18

निविदा सूचना

पटना मेडिकल कॉलेज, पटना के कॉलेज कैन्टीन आवंटन हेतु मुहरबंद निविदा प्रथम प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के अन्दर केवल निबंधित/स्पीडपोस्ट डाक द्वारा आमंत्रित की जाती है। निविदा की प्राप्ति अंतिम तिथि को शाम पांच बजे तक होगी। निविदा की नियम एवं शर्ते अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है अथवा कॉलेज के वेबसाईट www.patnamedicalcollege.com से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदादाता को लैटर पैड द्वारा मांग पत्र के आधार पर नियम एवं शर्ते उपलब्ध करायी जाएगी, जो निविदा समर्पित करने के लिए अनिवार्य होगी।

10.9.18

प्राचार्य

पटना मेडिकल कॉलेज, पटना।

08/9/18 8/9/18 8/9/18

प्राचार्य का कार्यालय, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।

निविदा की आवश्यक शर्तें:–

1. निविदादाता को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
2. कॉलेज कैन्टीन में फर्नीचर, वाटर फिल्टर (आर.ओ.), वाटर कुलर, ए0सी0 एवं आधुनिक रूप से डेकोरेशन इत्यादि की व्यवस्था निविदादाता स्वंय करेंगे।
3. कॉलेज कैन्टीन का आवंटन अगले तीन वर्षो के लिए होगा। चिकित्सकों/छात्रों की सेवा मे कमी, शिकायत या कार्य–कलाप असंतोषजनक होने या कैन्टीन समिति के गोपनीय रिपोर्ट पर कॉलेज कैन्टीन किसी भी वक्त एक माह की सूचना पर खाली कराया जा सकता है।
4. कॉलेज कैन्टीन संचालन में किसी भी स्थिति में हीटर का प्रयोग वर्जित रहेगा तथा कैन्टीन के रसोईघर में कामर्शियल गैस का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
5. कॉलेज कैन्टीन में मादक पदार्थ यथा– शराब, तंबाकु एवं धुमपान की भंडारण, बिक्री एवं सेवन पूर्णतः वर्जित रहेगा।
6. कॉलेज कैन्टीन में कार्यरत सभी कर्मियों को ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य होगा तथा कार्यरत सभी कर्मियों का आधार कार्ड की छायाप्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में कैन्टीन आवंटन के पश्चात जमा करना अनिवार्य होगा।
7. बर्तन धोने के लिए Steam Wash Machine लगाना होगा तथा Waste Disposal की व्यवस्था सरकारी नियमानुसार करनी होगी एवं कैन्टीन का रसोईघर को पूर्णतः स्वच्छ रखना अनिवार्य होगा।
8. कॉलेज कैन्टीन आवंटन हेतु निविदिदाता/फर्म को FSSAI द्वारा पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
9. कॉलेज कैन्टीन आवंटन होने पर सभी खादय पदार्थो का मूल्य–तालिका कैन्टीन में प्रदर्शित करना होगा।
10. खादय सामग्री में सरसो/रिफाइन्ड तेल किस ब्रान्ड/किस कंपनी का होगा इसका निर्धारण कैन्टीन समिति के सदस्यों द्वारा किया जाएगा।
11. कॉलेज प्रशासन द्वारा समय–समय पर तेल का नमूना संग्रह कर उसे जॉच हेतु खादय परीक्षण प्रयोगशाला को भेजा जाएगा। खादय पदार्थ में मिलावट पकड़े जाने पर कॉलेज कैन्टीन का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा तथा विधि सम्मत कार्रवाई होगी।
12. चिकित्सक शिक्षकों को बैठने के लिए अलग कमरा की व्यवस्था हो, जिसमें ए0सी0, फर्नीचर एवं वाश–वेसीन की व्यवस्था उपलब्ध कराना होगा।
13. जिस निविदादाता का तकनीकी निविदा सही पाया जाएगा, उन्हीं निविदादाता की वित्तीय निविदा को विचारार्थ खोला जाएगा।
14. निविदा कम्प्युटर से टंकित होना चाहिये। किसी भी परिस्थिति में हस्तलिखित निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
15. कॉलेज कैन्टीन आवंटन होने पर कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सभी शर्तो की कंडिका के अनुरूप प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र की मूल प्रति जमा करने के उपरान्त आवंटन आदेश दिया जाएगा। आवंटन आदेश प्राप्ति के उपरान्त पन्द्रह दिनो के अन्दर कैन्टीन चालू करना होगा। अन्यथा आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
16. निविदा की अंतिम तिथि के दुसरे दिन अपराह्न 12.30 बजे दिन में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति एवं कैन्टीन समिति के सदस्यों के समक्ष निविदा खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता या उनके प्रतिनिधि प्राधिकार पत्र, व्यक्गित फोटो/ पहचान पत्र के साथ उपस्थित रह सकते हैं।
17. निविदा की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए क्रय समिति एवं कैन्टीन समिति का निर्णय अंतिम होगा। क्रय समिति एवं कैन्टीन समिति को बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार होगा। किसी प्रकार के विवाद का निपटारा पटना स्थित न्यायालय में होगा।
18. कॉलेज कैन्टीन में आपूर्ति एवं भोजन योग्य खादय पदार्थो की गुणवता स्वास्थ्यवर्धक एवं हाइजीनिक होना अनिवार्य है। इसकी जॉच कैन्टीन समिति के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। अगर इसमें कमी पायी जायेगी तो अद्योहस्ताक्षरी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि एक सप्ताह की अल्प सूचना के आधार पर आवंटित निविदादाता/फर्म के कैन्टीन का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
19. कॉलेज कैन्टीन का आवंटन सभी तकनीकि शर्तो को पूरा करने वाले खादय पदार्थो के न्यूनतम दर–दाता एवं मासिक किराया के आधार पर कैन्टीन समिति अपने विवेक से करेंगी।
20. निविदा दो लिफाफा पद्वति के माध्यम से देय होगा। निविदादाता द्वारा मोहरबन्द तकनीकी निविदा में सभी आवश्यक कागजात संलग्न करेंगे तथा मोहरबन्द वित्तीय निविदा में कैन्टीन का किराया एवं खादय पदार्थों का दर संलग्न करेंगे तथा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा को एक बड़े मोहरबन्द लिफाफा में संलग्न कर भेजना होगा।
21. सरकारी कार्यालय या अन्य प्रतिष्ठित संस्थान/होटल में कैन्टीन संचालन के कार्यानुभव प्राप्त निविदिदाता को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका निर्णय क्रय समिति एवं कैन्टीन समिति के सदस्यों द्वारा की जाएगी।
22. कैन्टीन का न्यूनतम किराया रू.25000/–(पचीस हजार रूपये) होगा। आवंटित निविदादता को प्रति वर्ष अनुमोदित किराया में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी तथा कैन्टीन का किराया प्रतिमाह दस तारीख के पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा।

8.9.18

प्राचार्य
पटना मेडिकल कॉलेज, पटना।

07/09/18 08.9.18 7/9/18 7.9.2018

तकनीकी निविदा में संलग्न की जाने वाली अनिवार्य आवश्यक कागजातों की सूचि :-

- फर्म/एजेन्सी का रजिस्ट्रेशन
- जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
- श्रम विभाग द्वारा प्रदत लेबर लाइसेंस
- अद्यतन आयकर विवरणी
- पैन कार्ड की छायाप्रति
- सरकारी कार्यालय या अन्य प्रतिष्ठित संस्थान/होटल में कैन्टीन संचालन के कार्यानुभव प्रमाण पत्र।
- FSSAI द्वारा पंजीकृत प्रमाण पत्र।
- अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र।
- वरीय आरक्षी अधीक्षक अथवा नगर आरक्षी अधीक्षक अथवा आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वच्छ चरित्र प्रमाण पत्र।
- अग्रधन राशि के रूप में 50,000/-(पचास हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट, जो प्राचार्य पटना मेडिकल कॉलेज,पटना के पदनाम से देय होगा। आवंटित निविदादाता का अग्रधन राशि कैन्टीन आवंटन पश्चात जमानत राशि के रूप में जमा रहेगा तथा अन्य निविदिदाता की अग्रधन राशि लौटा दी जाएगी।
- निविदा में संलग्न किए गए सभी पृष्ठ हस्ताक्षरित एवं पृष्ठांकित होना अनिवार्य है।
- निम्न शर्तो के साथ शपथ पत्र की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य है,

VI. कॉलेज कैन्टीन की निविदा में दिए गए सभी शर्त मुझे मान्य है।

VII. मेरे फर्म को कभी भी काली सूची में दर्ज नही किया गया है।

VIII. मेरे फर्म का नाम कभी भी, किसी भी अपराधिक मामला में दर्ज नही है, तथा न्यायालय द्वारा मेरे फर्म को दंडित नही किया गया है।

IX. मेरे फर्म को खाद्य निरीक्षण दल द्वारा पूर्व में कभी दंडित नही किया गया है।

X. कॉलेज प्रशासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित मापदंड, नियम एवं शर्त मुझे मान्य होगा।

वित्तीय निविदा के अनिवार्य आवश्यक शर्ते :-

- वित्तीय निविदा में खाद्य पदार्थो की सूची के अनुसार क्रमवार दर का उल्लेख करना होगा।
- वित्तीय निविदा में दर का उल्लेख अक्षर एवं अंक दोनों में लिखा होना चाहिए।

8.9.18

प्राचार्य

पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।

07/09/18

7/9/18

8.9.18

7.9.2018